भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1955

03 मार्च, 2020 को उत्तरार्थ

विषय: फसलों का विविधीकरण

1955. श्री जसबीर सिंह गिलः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पानी और मिट्टी को बचाने के लिए पंजाब में फसल विविधीकरण की बहुत आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो फसलों के विविधीकरण के लिए राज्यों को राज्य-वार कुल कितनी निधि प्रदान की गई है; और

(ग) सरकार ने किसानों को फसल विविधीकरण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) : कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग पंजाब में पानी की बचत और मृदा संरक्षण हेतु पानी की कम खपत करने वाली वैकल्पिक फसलों के साथ धान की फसल को प्रतिस्थापित करने के लिए पहले से ही फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सीडीपी) का कार्यान्वयन कर रहा है।

(ख) : वर्ष 2019-20 के दौरान धान/तंबाकू की फसलों को प्रतिस्थापित करने के लिए सीडीपी के तहत राज्य-वार आवंटन (केन्द्रीय अंश) का विवरण नीचे दिया गया है :

(रू. लाख में)

क्र. सं.	**राज्य**	**बजट आवंटन (केन्द्रीय अंश)**
क.	**धान की फसल को प्रतिस्थापित करने के लिए सीडीपी**	
1.	पंजाब	705.76
2.	हरियाणा	301.73
3.	उत्तर प्रदेश	320.51
उप योग		**1328.00**
ख.	**तंबाकू की फसल को प्रतिस्थापित करने के लिए सीडीपी**	
1	आंध्र प्रदेश	212.96
2	बिहार	17.80
3	गुजरात	201.23
4	कर्नाटक	160.08
5	महाराष्ट्र	0.00
6	ओडिशा	2.45
7	तमिलनाडु	5.33
8	तेलंगाना	10.47
9	उत्तर प्रदेश	38.21
10	पश्चिम बंगाल	18.47
उप योग		**667.00**
ग.	आकस्मिकता	5.00
सकल योग (क+ख+ग)		**2000.00**

(ग): राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) की उप-योजना फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सीडीपी), मूल रूप से हरित क्रांति वाले राज्यों में कार्यान्वित की जा रही है ताकि धान की फसल के क्षेत्र को वैकल्पिक फसलों से परिवर्तित किया जा सके और तंबाकू उत्पादक राज्यों में तंबाकू की खेती करने वाले किसानों का वैकल्पिक फसलों/फसल प्रणाली की ओर परिवर्तित किया जा सके। सीडीपी के तहत धान की फसल को प्रतिस्थापित करने के लिए 4 मुख्य पहलों के लिए सहायता दी जाती है, यथा:- वैकल्पिक फसल प्रदर्शन, कृषि यंत्रीकरण एवं मूल्य वर्धन, जागरूकता, प्रशिक्षण, निगरानी के लिए स्थान विशिष्ट गतिविधियां और आकस्मिकता गतिविधियां आदि। तथापि, तंबाकू की फसल के प्रतिस्थापन हेतु तंबाकू उत्पादक राज्यों को वैकल्पिक कृषि/बागवानी फसलों को उगाने के लिए उपयुक्त गतिविधियां/पहल करने के लिए छूट दी गई है।

भारत सरकार आरकेवीवाई के तहत राज्य विशिष्ट आवश्यकताओं/प्राथमिकताओं के लिए राज्यों को भी लोचशीलता प्रदान करती है। राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय संस्वीकृति समिति (एसएलएससी) के अनुमोदन से राज्य फसल विविधीकरण को बढ़ावा दे सकते हैं।

*****